



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 53/2015

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों जयें जिला पुलिस अधीक्षक, बारों
(सायल)

बनाम

श्री बालमुकन्द उम्र 33 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति केवट निवासी पाटोन्दा जिला बारों
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 30.1.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री बालमुकन्द पुत्र पन्नालाल जाति केवट निवासी पाटोन्दा थाना सीसवाली जिला बारों के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारों द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली मे वर्ष 2011 से 2014 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका। गैरसायल की अपराधिक गतिविधिया फिर भी जारी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0 दिनांक	निर्णय दिनांक
1.	108/2011	13 आरपीजीओ	88/ 3.6.2011	सजा 15.7.11
2.	1/2012	147,148,341,324,325,307 भादस	16/31.1.2012	सजा 20.6.12
3.	188/2013	13 आरपीजीओ	165/20.12.2013	सजा 16.1.14
4.	154/2014	13 आरपीजीओ	118/23.9.2014	सजा 29.10.14

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 4 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 7.9.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्मे अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों में वर्ष 2011 से 2014 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये हैं। उक्त 4 प्रकरणों में से 3 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के एवं 1 प्रकरण भादस में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि पुलिस थाना सीसवाली ने गैरसायल के विरुद्ध उक्त इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया है जो मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है तथा खारिज होने योग्य है। गैरसायल के विरुद्ध उक्त कार्यवाही देषता व श झूठे तथ्यों के आधार पर की गयी है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा में चार प्रकरण दर्ज होना बताकर उक्त कार्यवाही की गयी है। जबकि उक्त चारों प्रकरण में 3 प्रकरण धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के हैं तथा एक प्रकरण आई.पी.सी. की धारा में दर्ज होना बताया गया है। धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के प्रकरण देषता व श झूठे बनाये गये हैं। आई.पी.सी. के प्रकरण मुकदमा नं० 1/2012 में दिनांक 20.6.2012 को निर्णय हो चुका है, जिसमें गैरसायल को प्रोबेशन दिया गया है। गुण्डा एक्ट की कार्यवाही एक वर्ष में 3 प्रकरण आई.पी.सी. के दर्ज होने पर ही की जा सकती है। इस कारण गैरसायल के विरुद्ध उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के परे होने से खारिज होने योग्य है। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में रूलिंग 2000 (1) R.Cr.D.380 (Raj.) Purkha Ram vs State of Rajasthan प्रस्तुत कर, गैरसायल के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विरुद्ध ए.पी.पी. द्वारा कहा गया कि गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के 3 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। जबकि 2 प्रकरणों में गुण्डा एक्ट की परिभाषा में गैरसायल का आना पूर्णतया सिद्ध है।

हमने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे मे प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों मे वर्ष 2011 से 2014 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त 4 प्रकरणो मे से 3 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रकरण मे चरपा नही होती है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री बालमुकन्द पुत्र पन्नालाल जाति केवड निवासी पाटोन्दा थाना सीसवाली जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 3 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री बालमुकन्द पुत्र पन्नालाल जाति केवट निवासी पाटोन्दा थाना सीसवाली जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री बालमुकन्द पुत्र पन्नालाल जाति केवट निवासी पाटोन्दा थाना सीसवाली जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000 /- रूपये का स्वयं मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 25.2.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना मे जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मॉंगरोल जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां